



Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies

Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X

Pg. 235-240



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर प्रभाव : अम्बेडकर नगर जिले के विशेष संदर्भ में

रजनीश राय

शोध छात्र,

पी० जी० कालेज पट्टी, प्रतापगढ़, उ०प्र० प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय

शोध निर्देशक,

पी० जी० कालेज पट्टी, प्रतापगढ़, उ०प्र०

Accepted: 09/03/2025

Published: 17/03/2025

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17270869>

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गरीब महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बीपीएल एवं एपीएल राशन कार्ड धारक परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य स्वच्छ ईंधन के उपयोग द्वारा झोंपड़ियों को धुँएँ से मुक्त करना, वायु प्रदूषण में कमी करना, जंगलों की कटाई को घटाकर पर्यावरण संरक्षण करना तथा महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। भारत में लगभग 41 प्रतिशत परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुँच आज भी एक प्रमुख समस्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा इन सभी समस्याओं को दूर करके महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिससे वे एक स्वस्थ जीवन और एक स्वच्छ समाज की ओर अग्रसर हों। स्वच्छ ईंधन के उपयोग की ओर परिवर्तन से हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो सकता है।

मुख्य शब्द : स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण।

भूमिका

हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ रसोई गैस उपलब्ध नहीं है। उन्हें आज भी भोजन पकाने के लिए परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, मिट्टी का तेल, कोयला आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। ईंधन एकत्र करने का काम अधिकांशतः महिलाओं का होता है, जिसके कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं के पास शुद्ध ईंधन की उपलब्धता बहुत कम है, अतः अपूर्ण ईंधन के उपयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लकड़ी में खाना पकाने से जो धुआँ उठता है, वह महिलाओं को श्वसन संबंधी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त कर देता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार ठोस ईंधन से निकलने वाला धुआँ उतना ही नुकसान करता है जितना एक घंटे में 400 सिगरेट पीने से होता है। WHO के अनुसार भारत में हर वर्ष 5 लाख से अधिक महिलाओं की मृत्यु ठोस ईंधन के उपयोग के कारण होती है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है जैसे कि अस्थमा, हृदय रोग, और गर्भावस्था पर प्रतिकूल प्रभाव आदि। ठोस ईंधन के उपयोग से बच्चों में दीर्घ श्वसन बीमारी के प्रमाण भी पाए गए हैं। अपूर्ण ईंधन के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तो आती ही हैं, साथ ही इससे वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई जैसी गंभीर सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी रोगों तथा वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना की रूपरेखा 2015 में ही 'Give It Up' के रूप में तैयार की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को मजदूर दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बलिया जिले से की गई थी। यह योजना एक धुआँ मुक्त ग्रामीण भारत की कल्पना करती है। इस योजना का लाभ 2011 की जनगणना के अनुसार उन्हें मिलेगा, जो परिवार बीपीएल तथा एपीएल श्रेणी में आते हैं। इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन वितरण करना था, जिसे आगे बढ़ाकर 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य कर दिया गया। योजना की समय सीमा 3 वर्ष (2016 से 2018-19 तक) रखी गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का नारा है "स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन।"

इस योजना के अंतर्गत देश के लोगों को और अधिक सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002666696 शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है; यह कनेक्शन परिवार की महिला के नाम से जारी किया जाता है। साथ ही लाभार्थियों को एक एलपीजी सिलेंडर, एक गैस पाइप, और एक गैस रेगुलेटर भी मुफ्त दिया जाता है। लाभार्थियों को गैस चूल्हा और पहली बार सिलेंडर भरने का खर्च लगभग 1600 रुपये स्वयं देना पड़ता है। यदि लाभार्थी इस खर्च को उठाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें ऋण की सुविधा भी दी जाती है, जिसकी वसूली बाद में एलपीजी की आपूर्ति के माध्यम से की जाती है। लाभार्थी को तब तक सब्सिडी नहीं मिलती जब तक ऋण की वसूली पूरी नहीं हो जाती, और जब यह पूरी हो जाती है तब लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि स्थानांतरित की जाती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0)

वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को फिर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के नाम से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के महोबा जिले से हुई थी। इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ-साथ एक रिफिल और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा।

इस योजना के तहत वे नागरिक जो अपने घरों से बाहर अन्यत्र किसी जगह पर किराए पर रहते हैं और जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वे भी इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उद्देश्य :

1. वनों की कटाई को घटाकर पर्यावरण का संरक्षण करना।
2. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
3. रसोई को धुएँ से मुक्त करना।
4. खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना।
5. ग्रामीण इलाकों में ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना।
6. ठोस ईंधन (जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि) के उपयोग को कम करना।
7. महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।
8. महिलाओं को जलती लकड़ी के धुएँ से असुरक्षित स्थानों में झुककर काम करने से बचाना, जिससे उन्हें शारीरिक चोट जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। यह योजना महिलाओं को असुरक्षित स्थानों पर जाने से रोकती है, जिससे महिला संबंधी अपराधों में कमी लाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता :

1. आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
2. आवेदक महिला 2011 की जनगणना के अनुसार बीपीएल परिवार से हो।
3. आवेदक महिला के परिवार में किसी अन्य के नाम से उज्ज्वला योजना का कनेक्शन न हो।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वर्तमान स्थिति :

इस योजना की वर्तमान स्थिति और इसके प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न संबंधित लेखों, शोध-पत्रों, योजना से संबंधित समाचारों एवं सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

जवाहर देवी (2017) ने अपने शोध लेख *“प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : समस्याएँ और चुनौतियाँ”* में योजना के जमीनी स्तर पर आने वाले प्रभावों को बताया है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति पर इस योजना के व्यापक प्रभाव को स्वीकार किया है।

दुर्गानंद मिश्रा, जितेन्द्र प्रियदर्शन, लक्ष्मी सिंह और पुरुषोत्तम भदौरिया (2018) ने अपने एक सामूहिक शोध पत्र *“Ujjwala Scheme : Are Cleaner Cooking Fuels Affordable and Accessible”* में इस योजना को जीवन बदलने वाली योजना बताया, लेकिन गरीब वर्ग के परिवारों के लिए गैस सिलेंडर को दोबारा भरवाने की असमर्थता को उजागर करते हुए इसकी आलोचना भी की। हालांकि उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव को जोड़ा और इस बात पर भी चर्चा की कि यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। सामान्यतः महिलाओं का कहना है कि चूल्हे में लकड़ी नहीं जलती, छोटे घर होने की वजह से रसोई धुँएँ से भरी रहती है। इस योजना से खाना आसानी से बनेगा और जंगल से लकड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार उज्ज्वला योजना के कारण गरीब महिलाएँ सशक्त हो रही हैं। इस योजना के चलते पिछले दो वर्षों में ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाओं की बीमारियों की दर में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। सबसे अधिक बदलाव फेफड़े और अन्य श्वसन रोगों में देखा गया है।

इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. राकेश मेहरोत्रा द्वारा अमेरिका में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद ग्रामीण महिलाएँ धुँएँ, कालिख और राख से बच रही हैं, जिससे उन्हें बीमार होने से बचाव मिला है।

बी.बी.सी. न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते सिलेंडर के दामों के कारण महिलाएँ उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर को छोड़कर फिर से लकड़ी से खाना बना रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के घरों में इतनी आमदनी नहीं

होती कि वे उसे भरवा सकें, उनकी आमदनी का अधिकांश हिस्सा घर के खर्चों में चला जाता है।

The Hindu की रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार उज्ज्वला योजना के लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों ने कभी दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में योजना के लगभग 2 लाख लाभार्थियों में से केवल 20 प्रतिशत ही सिलेंडर भरवा रहे हैं।

हालांकि कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक तीन बार मुफ्त में भरे हुए सिलेंडर उपलब्ध कराए गए।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष दो सिलेंडर और दीपावली के उपलक्ष्य पर सभी लाभार्थियों को अनुदान देने की योजना भी संचालित है जिससे उनकी रिफिलिंग की दर बढ़ी है।

रिपोर्ट के अनुसार योजना का आर्थिक प्रभाव :

एक रिपोर्ट के अनुसार योजना का लाभ देने में प्रति लाभार्थी लगभग ₹3200 का खर्च आता है, जिसमें ₹1600 सरकार द्वारा चुकाया जाता है,

- 1 एलपीजी सिलेंडर,
- 1 पाइप,
- 1 रेगुलेटर देने में।

जबकि ₹1600 ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ ग्राहक को ऋण के रूप में देती हैं गैस चूल्हा व सिलेंडर भरने के लिए। इस ऋण की वसूली आगे प्रत्येक सिलेंडर रिफिलिंग पर मिलने वाली सब्सिडी से की जाती है।

इस कारण गरीब परिवारों को दोबारा सिलेंडर भरवाने पर ₹800 से ₹1100 तक खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि गरीब परिवार दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पाते। रिपोर्ट के अनुसार केवल 20 प्रतिशत लोग रिफिलिंग करवा रहे हैं, जबकि 80 प्रतिशत ने नहीं करवाई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट 2019 के अनुसार :

हालाँकि योजना के परिणामस्वरूप कनेक्शन संख्या में वृद्धि हो रही है, परंतु वार्षिक औसत एलपीजी रिफिलिंग दर अभी भी कम है। गैर-उज्ज्वला योजना उपयोगकर्ताओं की तुलना में उज्ज्वला लाभार्थियों की वार्षिक औसत रिफिलिंग दर कम रही है। इसका अर्थ यह है कि लंबे समय से कार्यक्रम के लाभ को स्थायी रूप से महसूस नहीं किया जा सका। कम उपयोग का एक संभावित कारण रिफिलिंग और वितरण कीमत की अधिकता है, जबकि ठोस ईंधन स्थानीय रूप से सुलभ होता है, जिससे उसका उपयोग आसान लगता है।

तालिका संख्या - 1 : एलपीजी कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	एलपीजी वितरण प्रतिशत
2016-17	65.40%
2017-18	71.80%
2018-19	78.50%
2019-20	82.60%
2020-21	87.70%
2022-23	89.64%
2023-24	90.80%

(स्रोत: CAG रिपोर्ट, 2023)

तालिका संख्या - 2 : एलपीजी कनेक्शन का तुलनात्मक विश्लेषण (गैर-PMUY और PMUY लाभार्थियों के बीच)

वर्ष	औसत वार्षिक रिफिलिंग (गैर-PMUY)	औसत वार्षिक रिफिलिंग (PMUY लाभार्थी)
2016-17	15.8 प्रतिशत	9.1 प्रतिशत
2017-18	14.5 प्रतिशत	8.9 प्रतिशत
2018-19	13.5 प्रतिशत	6.5 प्रतिशत
2019-20	14.6 प्रतिशत	7.8 प्रतिशत
2020-21	11.8 प्रतिशत	8.5 प्रतिशत
2021-22	18.5 प्रतिशत	9.6 प्रतिशत
2022-23	22.6 प्रतिशत	12.5 प्रतिशत
2023-24	20.6 प्रतिशत	15.6 प्रतिशत

अध्ययन के उद्देश्य :

1. उज्ज्वला योजना की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को कितना सशक्त किया है, यह जानना।

शोध पद्धति :

शोध कार्य हेतु **100 महिला उत्तरदाताओं** का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूना विधि (Purposive Sampling Method) द्वारा किया गया।

शोध कार्य के लिए **एम्बेडकर नगर जिले** का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि से किया गया।

शोध उपकरण :

प्रश्नावली (साक्षात्कार सूची) स्वनिर्मित रूप में प्रयुक्त की गई।

तालिका संख्या - 3 : एलपीजी कनेक्शन वितरण की वर्तमान स्थिति

राज्य	जिला	पूर्व PMUY से जारी कनेक्शन	PMUY 2.0 के अंतर्गत जारी कनेक्शन
उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	1,50,000	44,000

(स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की रिपोर्ट, दिनांक 1 सितम्बर 2024)

तालिका संख्या - 4 : उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस सिलेंडर के नियमित उपयोग के संबंध में उत्तरदाताओं की राय

क्रमांक	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	25	25%
2	नहीं	45	45%
3	कभी-कभी	30	30%

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतम 45 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस सिलेंडर का दोबारा उपयोग नहीं किया। उनका कहना है कि हम मजदूर वर्ग से हैं, खाने-पीने का सामान ही मुश्किल से जुटा पाते हैं। कभी-कभी कोई काम नहीं मिलता, तो सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएँ? उनका कहना है कि सरकार ने जैसे गैस दी है वैसे ही कुछ पैसा इसके उपयोग हेतु भी दे। अतः स्पष्ट है कि यह योजना गरीब परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुँचाने में तो सफल रही, परंतु इसके निरंतर परिणाम देने में विफल रही है।

तालिका संख्या - 5 : उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस सिलेंडर के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण

क्रमांक	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	55	55%
2	सामान्य	35	35%
3	कभी-कभी	10	10%

विश्लेषण :

तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतम 55 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने इस योजना के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। अतः यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कारगर सिद्ध हुई है।

तालिका संख्या - 6 : उज्ज्वला योजना से प्राप्त अन्य लाभों के संबंध में राय

क्रमांक	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	समय की बचत	45	45%
2	आपराधिक घटनाओं में कमी	5	5%
3	साफ-सफाई में वृद्धि एवं मौसमी समस्याओं से मुक्ति	30	30%
4	उपरोक्त सभी	20	20%

विश्लेषण :

इस तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना से महिलाओं को ईंधन के लिए असुरक्षित स्थानों पर नहीं जाना पड़ता, जिससे महिला अपराधों में कमी आई है। साथ ही चूल्हे में आग जलाने की आवश्यकता समाप्त होने से साफ-सफाई बढ़ी है, धुएँ से घर भी स्वच्छ रहते हैं और समय की भी बचत होती है। अतः यह योजना अन्य लाभ देने में भी सफल रही है, लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं ने इसे स्वीकार किया।

तालिका संख्या - 7 : उज्ज्वला योजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में राय

क्रमांक	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	रसोई धुएँ से मुक्त हुई	25	25%
2	जंगलों में पेड़ों की कटाई में कमी आई	20	20%
3	वायु प्रदूषण के लिए लाभदायक	20	20%
4	उपरोक्त सभी	35	35%

विश्लेषण :

इस तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अतः कहा जा सकता है कि यह योजना लाभकारी परिणाम दे रही है, परंतु अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए इसकी स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक लाभार्थी नियमित रूप से गैस सिलेंडर का उपयोग करता रहे।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध के परिणामों से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के स्वरूप का चित्रण किया गया है। सर्वेक्षण के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि -

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाएँ सशक्त हुई हैं और अब उन्हें भोजन पकाने से उत्पन्न धुएँ से मुक्ति मिली है।
- योजना ने महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- स्वच्छ समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में इस योजना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- यद्यपि यह योजना बहुत अच्छी है, परंतु इसके उपयोग को निरंतर बनाए रखने में तकनीकी स्तर पर कुछ कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, जिससे यह अपने उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पा रही है।

सुझाव :

1. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे नियमित रूप से रिफिलिंग करवाते रहें और योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
2. सरकार को ध्यान देना चाहिए कि योजना के लाभार्थी अपनी आय का उचित हिस्सा खर्च न करके गैस उपयोग में स्थायित्व लाएँ।
3. एक पुनर्चक्रण प्रक्रिया (Recycling Process) को प्रोत्साहित किया जाए जिससे परिवार अपने घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग ईंधन विकल्पों में कर सकें।
4. लाभार्थियों को सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया जाए ताकि योजना के लक्ष्य पूरी तरह से साकार हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. देवी, रमन (2017). "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: समस्याएँ और चुनौतियाँ"
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), (2023). "भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर।"
3. त्रिपाठी, एस.के. (2019). "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: भारत में महिला सशक्तिकरण।"

4. *Household Air Pollution and Health Fact Sheet No. 292 (2016, फरवरी).*
5. <https://www.data.gov.in/catalog/national-family-health-survey-nfhs-5>
6. <https://www.indiantoday.in>
7. एम.क्ले, आर.पी. सिंह, डी.के. खत्री, "भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के ईंधन का विकास : एक समीक्षा।"
8. <https://www.bhaskar.com>
9. <https://ddnews.gov.in>
10. <https://www.thehindu.com>

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.
